न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

GCMS NO 2021/119

अपील संख्या – 44/21

1. मु0धापा पत्नि नानकचंद ब्राहम्ण निवासी नहर रोड गंगापुर सिटी
2. मु0प्रेम देवी पत्नि रामस्वरूप ब्राहम्ण निवासी जैन मंदिर के पास गंगापुर सिटी तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
3. नानकचंद पुत्र स्व0गौरीशंकर ब्राहम्ण निवासी नहर रोड गंगापुर सिटी तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
4. रामस्वरूप पुत्र गणपतलाल ब्राहम्ण निवासी जैन मंदिर के पास गंगापुर सिटी

अपीलांट

बनाम

गुल्लो बाई पत्नि रामअवतार जाति ब्राहम्ण निवासी मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 67/06 निर्णय दिनांक 23.2.21 न्यायालय उप जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री दिनेश चंद डास
अभिभाषक रैस्पो0 श्री रामदयाल त्रिवेदी

दिनांक 28.08.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 23.2.21 न्यायालय उप जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में अप्रार्थीगण/अपीलांटगण ने एक प्रार्थना पत्र तहत धारा 212 आर टी एक्ट मय धारा 151 जा0दी0 कायमी रिसीवर इस आशय का पेश किया कि हाल खाता संख्या 65 की भूमि ख0न0 390 रकबा 0.03 है0आबादी, ख0न0 391 रकबा 1.15 है0 , ख0न0 400 रकबा 0.52 है0 ग्राम सलारपुर का साबिक ख0न0 124 था। इससे पहले ख0न0 124 का ख0न0 205,207,208,217,226,227 था। जिनकी खातेदारी महादेव प्रसाद के पिता ऊंकार पुत्र बलदेव ब्राहम्ण के नाम थी। इसी प्रकार ख0न0 398 रकबा 0.02 है0 (खतौनी संख्या 11) का साबिक ख0न0 123 था तथा ख0न0 123 का साबिक ख0न0 227/4 था जिसकी खातेदारी महादेव प्रसाद के पिता ऊंकार पुत्र बलदेव के नाम थी। इस प्रकार ख0न0 392 रकबा 1.1.06 है0 भी पैतृक सम्पति है। यह कृषि भूमि महोदव प्रसाद द्वारा स्वअर्जित नही थी। बल्कि पूर्वजो की सम्पति है। महोदव प्रसाद [illegible] खातेदारी इनके पिता ऊंकार के नाम थी। पैतृक सम्पति होने के कारण इसमे महादेव [illegible] केसर पत्नि महादेव प्रसाद,

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:23:53 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

प्रार्थीयां गुल्लोबाई एवं अप्रार्थी संख्यां 1 व 2 धापा देवी व प्रेमदेवी का 1/5, 1/5 हिस्सा है। यह भूमि ख0न0 390 रकबा 0.03 है0, 391 रकबा 1.15 है0 , 400 रकबा 0.52 है0 ग्राम सलारपुर की भूमि प्रार्थीयां के कब्जे काश्त की भूमि कभी नही रही ना ही अब है। यह प्रार्थीयां व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता महादेव प्रसाद की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है। उनसे पूर्व यह भूमि ऊंकार लाल पुत्र बलदेव ब्राहम्ण के कब्जे काश्त की भूमि रही है। इस प्रकार यह भूमि पैतृक आराजी है किन्तु प्रार्थीयां एवं उसके पति व तथाकथित वसीयतनामे के गवाहान से साज करके एक फर्जी वसीयतनामा इस भूमि को स्वअर्जित बताते हुए प्रार्थीयां ने अपने पक्ष मे पंजीवद्व करवा लिया जबकि महादेव प्रसाद ने कोई वसीग्तनामा प्रार्थीयां के पक्ष मे पंजीकृत नही करवाया। इय वसीयतनामा इसी बात से फर्जी है कि वसीयतनामा की लाईन संख्या 5 मे महादेव प्रसाद ने अपने आपको विधुर होना बताया है जबकि महादेव प्रसाद की धर्मपत्नि केसर देवी अभी जिन्दा है। इस वसीयतनामा के आधार पर प्रार्थीयां ने दिनांक 21.7.04 को महादेव प्रसाद की मृत्यु होने के बाद प्रोवेट की कार्यवाही के वगैर दिनांक 15.8.04 को राष्ट्रीय अवकाश के दिन वगैर ग्राम पंचायत की मिटिंग के सरपंच एवं ग्राम पंचायत से साज कर अपने नाम गलत रूप से नामा0 खुलवा लिया। जबकि पटवारी हल्का ने नामा0 के कॉलम संख्या 9 मे धापा देवी ,गुल्लो देवी,प्रेमदेवी पुत्री महादेव प्रसाद व मु0 केसर बेवा महादेव प्रसाद का नाम दर्ज किया है। जिसकी जानकारी होने पर अप्रार्थी न0 1 व 2 ने नामा0 के विरूद्व अपील न्यायालय मे प्रस्तुत की है जो विचाराधीन है। वसीयतनामा दिनांक 1.6.87 को भी निरस्त कराने हेतु अपर जिला जजी गंगापुर सिटी मे अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने दावा प्रस्तुत कर रखा है। जो भी विचाराधीन है। महादेव प्रसाद ने प्रार्थीयां गुल्लो देवी के पक्ष मे किसी प्रकार का कोई वसीयतनामा पंजीकृत नही कराया है। वसीयत स्वअर्जित जायदाद की ही की जा सकती है। जबकि उक्त आराजीयात महादेव प्रसाद की स्वअर्जित भूमि नही रही है। इस प्रकार तथाकथित वसीयत पूर्ण रूपेण फर्जी एवं एवइनिशिओ नल एण्ड बोईड है जिससे प्रार्थीयां को किसी प्रकार के हक व अधिकार प्राप्त नही होते है। तथा यह हक हकूक अप्रार्थी न0 1 व 2 पर इनइफेक्टिव है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 28/05 उनवानी गुल्लोबाई बनाम मु0धापा देवी वगै0 मे दिनांक 15.6.05 को न्यायालय हाजा ने यह आदेश पारित किया है कि आराजी वादग्रस्त पर कब्जा भी प्रथम दृष्टया विवादित प्रतीत होता है । इस प्रकार प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा एवं धापा वगै0 की और से पेशें काउन्टर क्लेम टीआई आंशिक स्वीकार किये जाकर उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे ताफैसला दावा आराजी वादग्रस्त ख0न0 390 रकबा 0.03 है0, 391 रकबा 1.15 है0, 400 रकबा 0.52 है0 ग्राम सलारपुर के मौके की स्थिति यथावत रखे। इस प्रकार अदालत हाजा ने अपने आदेश दिनांक 15.6.05 मे जमीन पर किसी का कब्जा नही माना है। इस प्रकार भूमि इन मीडियो है। न्यायालय के आदेश के उपरान्त भी प्रार्थीयां व उसके लडके राजू व दिनेश दिनांक 5.6.06 को वादग्रस्त भूमि को जोतने के लिए ट्रेक्टर लेकर पहुँच गये एवं जोत लगानी चाही। धापादेवी के पुत्र ने [illegible] आमादा हो गये। मौके पर उपस्थित लोगो ने बीच बचाव कराया। इसके पश्चात दिनांक 7.6.06 को पुनः गुल्लोबाई व उसके लडके द्वारा उक्त आराजीयात पर [illegible] के आदेश दिनांक 15.

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:23:53 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

6.05 की अवहेलना है। जिसके लिए उनके विरूद्व ब्रीच प्रार्थना पत्र न्यायालय मे पेश कर दिया है। मु0 गुल्लोबाई प्रार्थीयां ने फर्जी वसीयत नामा अपने नाम कराया है उसके आधार पर प्रार्थीयां ने सक्षम न्यायालय से प्रोवेट प्राप्त किये बिना ही अपने नाम नामा0 खुलवाया है जो स्वतःही बेअसर है। कानून के मान्य प्रावधानो के अनुसार प्रोवेट प्राप्त किये बिना वसीयतनामा के आधार पर कोई भी व्यक्ति सम्पति का मालिकाना हक प्राप्त करने का अधिकारी नही हो सकता है। आदेश दिनांक 15.6.05 की प्रार्थीयां गुल्लो देवी व उसके लडके खुलमखुल्ला अवहेलना कर रहे है। इसलिए अदालत को अपने आदेश की कियान्विति बनाये रखने हेतु न्यायहित मे विवादित आराजीयात पर रिसीवर नियुक्त किया जाना आवश्यक व उचित है ताकि प्रार्थीयां विवादित आराजीयात को खुर्द बुर्द नही कर सके। अतः आराजी ख0न0 390 रकबा 0.03 है0, 391 रकबा 1.15 है0, 400 रकबा 0.52 है0 ग्राम सलारपुर तहसील गंगापुर सिटी पर तहसीलदार गंगापुर सिटी को रिसीवर नियुक्त किया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थीयां/रेस्पो0 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीयां/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/अप्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश रूयेदाद मिसल होने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो एवं तथ्यो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो की सही विवेचना नही की है। इस प्रकरण मे यह बात स्पष्ट थी कि वादग्रस्त आराजीयात अपीलाटस की पैतृक आराजीयात है तथा उक्त पैतृक आराजीयात मे अपीलाट का हिस्सा व विधिक हिस्सा है तथा रेस्पो0 उक्त फर्जी वसीयत के आधार पर खुले नामा0 के आधार पर वाद मे वर्णित आराजीयात को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। उपरोक्त तथ्य पर अधिनस्थ न्यायालय ने गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट द्वारा अपने द्वारा प्रस्तुत रिसीवरी प्रार्थना पत्र के सर्मथन मे जो दस्तावेज पेश किये थे उनकी कोई विवेचना अपने निर्णय मे नही दी है। जबकि अपीलाट द्वारा ऊंकार के खाते की नकल ,मिलान क्षैत्रफल,मृत्यु प्रमाण पत्र महादेव फोटो कापी तथा केसर देवी का जिवित होने का प्रमाण पत्र व वोटर लिस्ट व विभिन्न न्यायालयो मे चल रहे मुकदमो की सत्यप्रति प्रस्तुत की थी। जिससे स्पष्ट था कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी अपीलांट की पैतृक आराजी है तथा अपीलांट द्वारा जो जरिये वसीयत रिकार्ड मे अमल दरामद कराया है वह फर्जी तरीके से करवाया है। न्यायहित मे मुकदमो के निस्तारण हेतु व न्याय प्राप्ति हेतु उक्त प्रकरण मे रिसीवर नियुक्त करना चाहिए था। लेकिन उन्होने सरसरी तौर पर यह कहकर कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है के आधार पर रिसीवरी प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:23:53 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

आधारहीन व औचित्यहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। यह कहकर अपीलांट का रिसीवर प्रार्थना पत्र गलत रूप से खारिज कर दिया जबकि तहत न्यायालय के समक्ष यह स्थिति स्पष्ट हो चुकी थी कि वाद खारिज के निर्णय के विरूद्व पक्षकारो के मध्य उच्च न्यायालय जयपुर मे प्रकरण लंबित है। वहॉ से स्थगन आदेश जारी कर रखा है पर किसी प्रकार का कोई मनन तहत न्यायालय ने नही किया। ऐसी स्थिति मे तहत न्यायालय को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश स्थगन पर मार्गदर्शन लिया जाकर प्रकरण मे आगामी कार्यवाही निर्णय तक स्थगित करनी चाहिए थी। उपरोक्त संदर्भ मे जहॉ विभिन्न न्यायालयो मे प्रकरण लंबित हो आराजीयात पैतृक हो तो वहा रिसीवर नियुक्त का आदेश कठोर होते हुए भी उचित होना माननीय राजस्व मंडल द्वारा पारित निर्णय आर आर डी 2007 पेज 58 पर निर्णित किया है एवं भूमि खुर्द बुर्द की प्रकरण मे पूर्ण आशंका है। इस प्रकार के प्रकरण मे रिसीवर नियुक्त किया जाना न्यायोचित व सुविधाजनक है। इसी के साथ जहॉ टाईटल के संबंध मे पक्षकारो के मध्य प्रकरण विचाराधीन हो वहॉ रिसीवर नियुक्त किया जाना न्यायोचित है। उपरोक्त कानूनी बिन्दुओ पर किसी प्रकार का कोई गौर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नही किया गया है। वर्तमान मे अपीलांट अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है तथा दौराने वाद पत्र सुनवाई भूमि के खुर्द बुर्द होने की पूर्ण संभावना है। उक्त आराजीयात को लेकर फौजदारी मुकदमे विचाराधी है। वाद मे वर्णित भूमि की रक्षार्थ एवं पक्षकारो के हको एवं अधिकारो के रक्षार्थ न्यायहित मे अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत रिसीवरी प्रार्थना पत्र न्यायिक दृष्टिकोण से स्वीकार होने योग्य है। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जल्दबाजी मे अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। प्रकरण सम्मिलित कुटुम्ब का है। पैतृक आराजीयात मे समस्त विधिक उत्तराधिकारियो का समान हक रहता है तथ उपरोक्त भूमि जरिये वसीयत अंतरित की गई है पैतृक भूमि के संदर्भ मे स्टेटस मेंशन करना चाहिए था। इस मत को माननीय राजस्व मंडल द्वारा पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यो पर गौर नही कर जल्दबाजी मे अपीलांट के अधिवक्ता को सुने बिना ही उक्त निर्णय विधि विरूद्व पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त निर्णय की जानकारी अपीलांट को सर्वप्रथम 28.7.21 को अपने अधिवक्ता से मिलने पर हुई। इससे पूर्व कोविड 19 महामारी होने से अधिवक्ता से सम्पर्क नही कर सका। इस प्रकार जानकारी के अनुसार अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रिसीवरी स्वीकार फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे तर्क दिया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र काल्पनिक तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत किया गया था। अप्रार्थी धापादेवी, प्रेमदेवी व प्रार्थीयां गुल्लो बाई के पिता महादेव ने प्रार्थीयां गुल्लो बाई के पक्ष मे दिनांक 1.6.87 को विधि अनुसार वसीयतनामा तहसील व तकमील करवाया था जिसको उप पंजीयन अधिकारी गंगापुर सिटी द्वारा नियमानुसार दिनांक 1.6.87 को ही पंजीवद्ध कर दिया जिसमे गवाह शंभूदयाल पुत्र मिश्रीलाल ,चिरंजी पुत्र भौंर्या माली ने मय ... शनाख्त की थी। वसीयतनामा महादेव प्रसाद ने राजीखुशी होश हवास मे ... लिखवाया ... विधि अनुसार ही पंजीवद्ध कराया

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:23:53 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

था। महादेव ने वसीयत के बारे मे प्रार्थीयां गुल्लोबाई व अप्रार्थी धापा देवी,प्रेमदेवी ,श्रीमती केसर देवी के सामने दिनांक 1.6.87 को ही बता दिया था। इस कारण अप्रार्थीगण को वसीयत की दिनांक से ही जानकारी रही है। वसीयतनामा महादेव ने अपनी स्वअर्जित चल अचल सम्पति ग्राम सलारपुर ख0न0 390,391,400 एवं अन्य ख0न0 का एवं स्वअर्जित महादेव की सम्पति ख0न0 390 रकबा 0.03 है0 गैर मुमकिन आबादी मे महादेव का रिहायशी 4 गह पाटोर पश्चिम की और, 3 गह 2 गह दक्षिण व उत्तर की तना गह इस प्रकार 11 गह पाटोर को प्रार्थीयां गुल्लोबाई के पक्ष मे वसीयत से रजिस्टर्ड कराया था। विधि के अनुसार व वसीयतनामे के अनुसार किसी भी वारिस को वसीयतनामे के विरूद्व किसी भी प्रकार का उज्र करने का कोई वैधानिक अधिकार नही है। वसीयतनामे मे अंकित सम्पूर्ण सम्पति महादेव की स्वअर्जित सम्पति रही है। महादेव की केवल एक मात्र प्रार्थीयां गुल्लोबाई ने ही पूर्ण निष्ठा से सेवा की है तथा सम्पूर्ण चल अचल सम्पति की देखभाल भी प्रार्थीयां गुल्लोबाई द्वारा ही की गई है। इसी सेवा से प्रसंन होकर महादेव ने प्रार्थीयां गुल्लोबाई के पक्ष मे विधि अनुसार वसीयतनामा कराया था। महादेव की कृषि भूमि की देखभाल प्रार्थीयां गुल्लोबाई ही करती है। उक्त आराजीयात की खातेदारी प्रार्थीयां के नाम निरन्तर चली आ रही है। विवादित आराजीयात महादेव की पैतृक आराजी ना होकर स्वअर्जित सम्पति रही है। स्वअर्जित सम्पति को वसीयत करने का अधिकार महादेव को था। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त वसीयतनामे को निरस्त कराने का वाद न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश गंगापुर सिटी के यहाँ प्रस्तुत किया था वह भी दिनांक 28.1.17 को खारिज हो चुका है एवं वसीयत आज भी प्रभावी है। वादग्रस्त भूमि के संबंध मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 15.6.15 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर भूमि की मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे जाने हेतु पक्षकारान को पाबंद किया हुआ है। इस प्रकार अपीलांट का यह कथन झूठा है कि अपीलांट भूमि को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है बल्कि सत्यता यह है कि वादग्रस्त भूमि से प्रार्थीयां को बेदखल करने के उद्वेश्य से ही यह रिसीवर प्रार्थना पत्र एवं ब्रीच प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। वादग्रस्त आराजीयात को प्रार्थीयां द्वारा किसी भी प्रकार से वेस्ट,डेमेज एवं एलीनियट नही किया जा रहा है। इस तथ्य को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे स्पष्ट माना है। वादग्रस्त आराजीयात पर अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश प्रभावी है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से सम्पूर्ण मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यो का विवेचन किया जाकर प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का विधिपूर्वक अवलोकन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो विधिक निर्णय है। उसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणों की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया जिससे यह तथ्य सामने आये कि वादग्रस्त आराजीयात ख0न0 390 रकबा 0.05 है0, 391 ... है0, 400 रकबा 0.52 है0 के बाबत अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 28/05 मे ताफैसला दावा उभयपक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया ... अधिवक्ता का कथन रहा कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:23:53 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

वादग्रस्त आराजीयात को अप्रार्थीयां गुल्लो बाई खुर्द बुर्द करने पर आमादा है, जबकि विवादित आराजीयात के बाबत उभयपक्ष को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पाबंद किया हुआ है तो रहन बेचान का कथन साबित नही होता है। अपीलांट अधिवक्ता के कथन अनुसार अप्रार्थीयां हो किया गया वसीयतनामा फर्जी है। इसके संबंध मे यह तथ्य उल्लेखनीय है कि उक्त वसीयतनामे को निरस्त कराने हेतु अपीलांट द्वारा माननीय अपर जिला न्यायाधीश गंगापुर सिटी के यहॉ दावा पेश किया था जो दिनांक 28.1.17 के द्वारा खारिज किया जा चुका है। किसी भी आराजीयात पर रिसीवर नियुक्त करने से पूर्व आराजीयात को बेस्ट डेमेट या एलीनियट करने के तथ्य को साबित करना आवश्यक होता है। इस तथ्य को आधनस्थ न्यायालय द्वारा प्रमाणित नही माना है ना ही अपीलांट द्वारा इसके सर्मथन मे किसी प्रकार की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की है जिससे यह सिद्व हो सके कि विवादित आराजीयात को प्रार्थीयां द्वारा बेस्ट डेमेज या एलीनियट किया जा रहा है। उक्त विवादित आराजीयात पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रभावी है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अधिनस्थ अतः अपील खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के प्रकरण संख्या 67/06 मे पारित निर्णय दिनांक 23.2.21 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:23:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner